झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची

संख्या– परि०आ०–2606/2009 (खण्ड) 1822 'A' /राँची,दिनांक 22.11.2022

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड, राँची की बैठक दिनांक–05.12.2022 को 11:30 पूर्वाह्न से सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची के एफ०एफ०पी० भवन स्थित कार्यालय कक्ष में आहूत की गई है।

बैठक में सभी पड़ोसी राज्यों यथा–बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित मार्गों पर नये परमिट की स्वीकृति, नवीनीकरण सहित अन्यान्य मामले तथा गत परिवहन प्राधिकार के लंबित मामलों पर विचार किया जाएगा।

1. मार्गों की रिक्तियों का विस्तृत ब्यौरा Online Permit System से संबंधित वेबसाईट **www.spermit.jharkhand.gov.in** पर अवलोकन किया जा सकता है।
2. Online/Offline आवेदन दिनांक–30.11.2022 तक प्राप्त की जाएगी तथा तत्पश्चात प्राप्त आवेदन अगली बैठक में रखे जायेंगे।
3. Online/Offline आवेदन के साथ संलग्न समय–सारणी का प्रकाशन (वेबसाईट पर अपलोड) दिनांक–01.12.2022 को किया जायेगा। प्रकाशित समय–सारणी के विरूद्ध Online/Offline आपत्ति आवेदन दिनांक–01.12.2022 से 03.12.2022 तक दाखिल किया जा सकता है। इस तिथि के उपरांत कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगा।
4. Online/Offline Permit के आवेदन के साथ निम्न कागजात Upload/ समर्पित किया जाना अपेक्षित होगा :–

   I. आवेदित वाहन का टैक्स, फिटनेस, गति नियंत्रक प्रमाण–पत्र, बीमा एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र।

   II. आवेदक/आवेदिका की शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, भारी वाहन चालक अनुज्ञप्ति, भूतपूर्व सैनिक एवं विकलांगता इत्यादि की छायाप्रति (यदि आवश्यक हो)।

   III. आवेदित वाहन के डीलक्स एवं ए०सी० होने का प्रमाण पत्र।

   IV. झारखण्ड राज्य का निवास/कारोबार के स्थान से संबंधित आधार कार्ड की प्रति।

5. आवेदित मार्ग के लिए प्रस्तावित समय–सारणी की प्रविष्टि Online/Offline की जायेगी।
6. आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क रूपये 500.00 का भुगतान ऑनलाईन किया जायेगा।

7. स्वीकृत परमिट के मामले में परमिट शुल्क एवं अधिभार शुल्क परमिट स्वीकृति के 30 दिन के अंदर के online जमा कर उपरोक्त वेबसाईट से ही परमिट, समय–सारणी एवं अनुशंसा पत्र Download किया जायेगा।

8. सभी वाहनस्वामी निर्धारित अवधि में वेबसाईट **www.spermit.jharkhand.gov.in** पर समय–सारणी का प्रकाशन देखना सुनिश्चित करेंगे।

9. आसन्न बैठक में अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य विषय पर भी विचार किया जा सकेगा।

अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड, राँची के आदेश से।

अवर सचिव,
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक– परि०आ०–2606/2009 (खण्ड) 1822 'A' /राँची,दिनांक 22.11.2022

प्रतिलिपिः–सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/परिवहन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/पी०एम०यू० कोषांग/ प्रेषण शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रेषण शाखा को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सूचना विभागीय सूचना पट्ट एवं विभागीय वेब–साईट पर प्रकाशित की जाय।

अवर सचिव,
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक– परि०आ०–2606/2009 (खण्ड) 1822 'A' /राँची,दिनांक 22.11.2022

प्रतिलिपिः– श्री संजीव कुमार एवं श्री सोनाराम देवगम, सदस्य, राज्य परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव,
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक– परि०आ०–2606/2009 (खण्ड) 1822 'A' /राँची,दिनांक 22.11.2022

प्रतिलिपिः– राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी. झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक हेतु Online Permit System से संबंधित आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अवर सचिव,
परिवहन विभाग।